

कार्यालय

ग्राम सभा-दाढ़ीराम, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में स्थित वन भूमि की आराजी सं०-31, 32 व 74 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

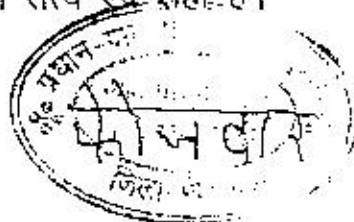
उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम ददरीखुर्द की आराजी नं०-31 में क्षेत्र-1.0100हे० आ०नं०-32 में क्षेत्र-0.1700हे० व आ०नं०-74 में क्षेत्र-0.4500हे० योग 3 गाटा रकबा 1.6300हे० आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दाढ़ीराम द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर)
20/07/2020



कार्यवाही रजिस्टर

नियम 36 व 43

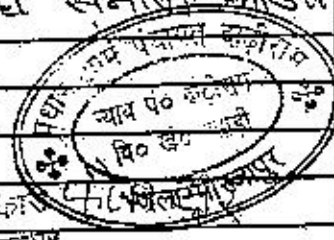
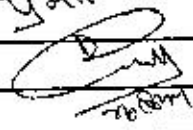
रूप पत्र संख्या 8

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यों का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
11/01/2016	श्री फौजदार (प्रधान)		आज दिनांक 11-2-2016 को गठन प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	फौजदार
	तिजारी देवी		अनुसार गठन प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	संजु देवी		अध्यक्षता में स्थान प्रमाण पत्र की जांच के लिए प्रस्तावित किया गया।	
	राजेश प्रसाद		विषय पर विचार किया गया।	
	नामचंद		विषय पर विचार किया गया।	
	मन डीला		विषय पर विचार किया गया।	
	अशोक कुमार		विषय पर विचार किया गया।	
	शकुन्तला		विषय पर विचार किया गया।	
	सुकुमा देवी		विषय पर विचार किया गया।	
	सौरा		विषय पर विचार किया गया।	
	कमलेश कुमार		विषय पर विचार किया गया।	
	श्रीनंद कुमार		विषय पर विचार किया गया।	
	मिर्झा लाल		विषय पर विचार किया गया।	
	राजेश कुमार		विषय पर विचार किया गया।	

नोट :- प्रत्येक कार्यवाही पर प्रधान और सचिवों के हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

252

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यों का ह० या अनुमति निम्न
1	2	3	4	5
			है। अनापत्ति प्रदान किया जाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया। उपस्थित सदस्यों ने सचिव की कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित सदस्यों द्वारा अन्य कोई प्रस्ताव नहीं प्रामाण्य गया अतः प्रस्ताव को कार्यवाही समाप्त की जा रही है। 	
	पुनःपरीक्षा 		ग्राम विकास अधिकारी आय पंच सदस्य, निजपुर	

कार्यालय

ग्राम सभा-दौंती, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

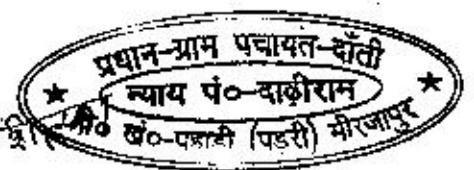
ग्राम-ददरी गहिरा, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०-17, 155, 161, 162, 163, 166, 167, 168, में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० की तापीय विद्युत परियोजना स्थल ग्राम ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर के लिए सम्पर्क सड़क एवं वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम ददरीगहिरा की आराजी नं०-17 में क्षेत्र-0.0036हे०, आ०नं०-155 में क्षेत्र-0.1345हे०, आ०नं०-161 में क्षेत्र-0.0198हे०, आ०नं०-162 में क्षेत्र-0.2049हे०, आ०नं०-163 में क्षेत्र-0.0330हे०, आ०नं०-166 में क्षेत्र-0.0016हे०, आ०नं०-167 में क्षेत्र-0.0200हे०, आ०नं०-168 में क्षेत्र-0.0059हे०, कुल योग 8 गाटा में क्षेत्र-0.4233हे० व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु ग्राम ददरीगहिरा की आराजी नं०-17 में क्षेत्र-0.0135हे०, आ०नं०-155 में क्षेत्र-0.3310हे०, आ०नं०-161 में क्षेत्र-0.0850हे०, आ०नं०-162 में क्षेत्र-0.6180हे०, आ०नं०-163 में क्षेत्र-0.1595हे०, आ०नं०-166 में क्षेत्र-0.0180हे०, आ०नं०-167 में क्षेत्र-0.0270हे०, आ०नं०-168 में क्षेत्र-0.0130हे० कुल योग 8 गाटा में क्षेत्र-1.2650हे० के निर्माण के लिए वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दौंती द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्राम ददरी गहिरा के ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को सम्पर्क सड़क एवं वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक-03.01.2016

सभा बैठक:-

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित / अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या-	प्रस्ताव क्रमांक. 2, 3, चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम सभा-दौली के ग्राम-ददरी गहिरा, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-17, 155, 161, 162, 163, 166, 167 व 168 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम-ददरी गहिरा, तप्पा-84, परगना-कंति, हसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-17 / 0.0036हे0, आ0नं0-155 / 0.1345हे0, आ0नं0-161 / 0.0198हे0, आ0नं0-162 / 0.2094हे0, आ0नं0-163 / 0.0330हे0, आ0नं0-166 / 0.0016हे0, आ0नं0-167 / 0.0200हे0, आ0नं0-168 / 0.0059हे0 व आराजी नं0-17 / 0.0135हे0, आ0नं0-155 / 0.	पारित	प्रधान-ग्राम पञ्चाय न्याय पं०-दादी खं०-ए०
2-बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या-				2-प्रमोद
				3- (मील च-दे
				4- अहेन्द्र
				5-
				6-

एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कब्जा/कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कब्जा है अथवा नहीं।	3310हे0, आ0नं0-161/0.0850हे0, आ0नं0-162/0.6180हे0, आ0नं0-163/0.1595हे0, आ0नं0-166/0.0180हे0, आ0नं0-167/0.0270हे0, आ0नं0-168/0.0130हे0 वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं कब्जा नहीं है एवं फॉरेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।	7-- 8-बिचौर 8/2/2012
		8-जगवती
		9- <u>Shrover</u>
		10- <u>Shrover</u>
		11-

प्रति सम्माननीय
प्रमुख, जिला प्रशासन
जिला प्रशासन, जिला मुख्यालय
जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय

कार्यालय

ग्राम सभा-दौंती, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

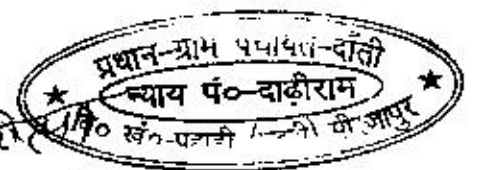
ग्राम-बेला, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०-8, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 28, 30 व 30, 8, 7, 3 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बेला की आराजी नं०-8 में क्षेत्र-0.0010हे०, आ०नं०-14 में क्षेत्र-0.0077हे०, आ०नं०-15 में 0.0069हे०, आ०नं०-16 में 0.0259हे०, आ०नं०-20 में क्षेत्र-0.0097हे०, आ०नं०-21 में क्षेत्र-0.0481हे०, आ०नं०-26 में क्षेत्र-0.0027हे०, आ०नं०-28 में क्षेत्र-0.0045हे० आ०नं०-30 में क्षेत्र-0.2274हे० योग 9 गाटा में क्षेत्र-0.3339हे० व आ०नं०-30 में क्षेत्र-0.5378हे० आ०नं०-8 में क्षेत्र-0.0052हे०, आ०नं०-7 में क्षेत्र-0.0013हे०, आ०नं०-3 में क्षेत्र-0.1394हे० कुल योग 4 गाटा में क्षेत्र-0.6837 वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दौंती द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है; अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

सभा बैठक-

दिनांक-3-01-2011

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या--	प्रस्ताव क्रमांक 0.2.2.....चर्चा वेलस्पन एचजी ग्रामी प्राणलि0 द्वारा तपा-84, ग्राम-ददरीखुर्द, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर मे तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम सभा-दोती के ग्राम-बेला, तपा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम-बेला तपा-84, परगना-कंति, हसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-8/0.0010हे0, आ0नं0-14/0.0077हे0, आ0नं0-15/0.0069हे0, आ0नं0-16/0.0259हे0, आ0नं0-20/0.0097हे0, आ0नं0-21/0.0481हे0, आ0नं0-26/0.0027हे0, आ0नं0-28/0.0045हे0,	पारित	1- प्रधान-ग्राम पंचायत-चौली * न्याय पं०-बाबू राम * वि० बं०-पहली (पहरी) मीरजापुर
2-बैठक मे उपस्थित सदस्यों की संख्या-				2- र म म ग न
				3- म ल च - 2
				4- म डे 2
				5- 
				6-

कार्यालय

ग्राम सभा-दौंती, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

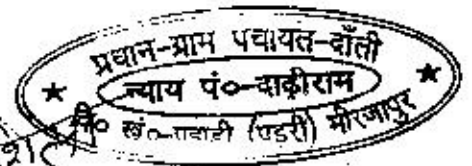
ग्राम-दौंती, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०-2062, 2034, 2067, 2078, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2074 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम दौंती की आराजी नं०-2062 में क्षेत्र-0.2564 हे०, आ०नं०-2034 में क्षेत्र-0.2252 हे०, आ०नं०-2067 में 0.2082 हे०, आ०नं०-2078 में 0.4308 हे०, आ०नं०-2085 में क्षेत्र-0.2749 हे०, आ०नं०-2086 में क्षेत्र-0.0031 हे०, आ०नं०-2087 में क्षेत्र-0.0048 हे०, आ०नं०-2088 में क्षेत्र-0.0056 हे०, आ०नं०-2089 में क्षेत्र-0.3196 हे०, आ०नं०-2074 में क्षेत्र-0.0907 कुल योग 10 गाटा में क्षेत्र-1.8193 हे० व सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु ग्राम दौंती की आराजी नं०-2089 में क्षेत्र-1.0740 हे०, आ०नं०-2074 में क्षेत्र-0.1980 हे०, आ०नं०-2088 में क्षेत्र-0.0130 हे० कुल 3 गाटा में क्षेत्र-1.2850 हे० वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा दौंती द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

दिनांक-- 3-1-2016

सभा बैठक--

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या--	प्रस्ताव क्रमांक 23..... चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरीखुर्द, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम सभा-दौती के ग्राम-दौती, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-2062, 2034, 2067, 2078, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089 व 2074 की आरक्षित वन भूमि को फारेस्ट राइट एक्ट(एफ0आर0ए0) 2006 के	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम-दौती तप्पा-84, परगना-कंति, हसील-सदर, जिला-मीरजापुर की आराजी नं0-2062/0.2564हे0, आ0नं0-2034/0.2252हे0, आ0नं0-2067/0.2082हे0, आ0नं0-2078/0.4308हे0, आ0नं0-2085/0.2754हे0, आ0नं0-2086/0.0031हे0, आ0नं0-2087/0.0048हे0, आ0नं0-2088/0.0056हे0,	प्रस्ताव पारित	1- प्रधान-ग्राम पंचायत-दौती * न्याय पं०-बाहीराम * को. बि०-पहाड़ी (पड़नी) में जाय 2- 21/1/2016 3- 21/1/2016 4- 21/1/2016 5- 21/1/2016 6-

7- 3-1-2019 के अनुसार

8- 5-1-2019 के अनुसार

9- 8-1-2019 के अनुसार

10- 10-1-2019 के अनुसार

11-

तहत आवेदित वन भूमि में आनं0-2089 / 0.3196 हे०, आनं0-2074 / 0.0907 हे० व आराजी नं०-2089 / 1.0740 हे०, आनं०-2074 / 0.1980 हे० आनं०-2088 / 0.0130 हे० वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं कब्जा नहीं है एवं फॉरेस्ट साइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा वाटर पाइप लाइन व सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(Signature)
 अधिकारी (वन) जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख, जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख, जिला प्रमुख
 जिला प्रमुख, जिला प्रमुख

कार्यालय

ग्राम सभा—हड़ौरा, तहसील—मड़िहान, जनपद—मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम—गोड़दुटवा, (ग्राम सभा हड़ौरा) तप्पा—84, परगना—कंति, तहसील—मड़िहान, जिला—मीरजापुर की वन भूमि की आराजी सं०—80, 81, 104, 105, 171 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए भूमिगत वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम गोड़दुटवा की आराजी नं०—80 में क्षेत्र—0.0144हे०, आ०नं०—81 में क्षेत्र—0.1040हे०, आ०नं०—104 में क्षेत्र—0.0233हे०, आ०नं०—105 में क्षेत्र—0.0102हे०, आ०नं०—171 में क्षेत्र—0.2805हे० कुल योग 5 गाटा रकबा 0.4324हे० वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा गोड़दुटवा द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०)2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट(एफ०आर०ए०)2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम विकास अधिकारी
पट्टेहरा कंता—मीरजापुर

प्रस्ताव सत्य प्रतिलिपि

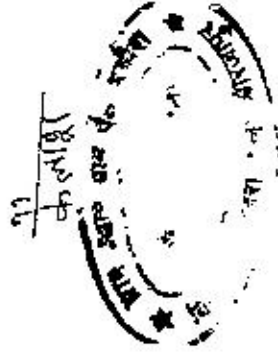
दिनांक--

सभा बैठक--

उपस्थित सदस्यों के नाम व संख्या	प्रस्ताव क्रमांक एवं विषय	की गयी कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव पारित/अपारित	अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1-ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या--	प्रस्ताव क्रमांक 81.....चर्चा वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम--ददरीखुर्द, तप्पा--84, परगना--कंति, तहसील--सदर, जिला--मीरजापुर में तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम सभा--हड़ौरा के ग्राम--गोड्डुटवा तप्पा--84, परगना--कंति, तहसील--भड़िहान, जिला--मीरजापुर की आराजी नं0-80/0.0144हे0 आ0नं0-81/0.1040हे0, आ0नं0-104/0.0233हे0, आ0नं0-105/0.0102हे0, आ0नं0-171/0.2805हे0 वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं	उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह निर्णय निकाला गया कि ग्राम--गोड्डुटवा तप्पा--84, परगना--कंति, हसील--भड़िहान, जिला--मीरजापुर की आराजी नं0-80/0.0144हे0 आ0नं0-81/0.1040हे0, आ0नं0-104/0.0233हे0, आ0नं0-105/0.0102हे0, आ0नं0-171/0.2805हे0 वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिवासी व गैर आदिवासी का कोई कृषि कार्य एवं	पारित	1- मुखर 2- विजली 3- दिवप्रसाद 4- Khande 5- मोहि कुमार 6- मोहन



	आदिवासी / अनुसूचित जाति / अनुसूचित कबजा / कृषि कार्य आवासीय एवं अन्य कार्य हेतु कबजा है अथवा नहीं।	कबजा नहीं है एवं फारेस्ट राइट एक्ट(एफओआरए0)2008 के अन्तर्गत वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया अतएव आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।		7- 8- 9- 10- 11-	 21/11/2014 अ.क.ए.न. पि.न.टू. मि.जन
--	--	---	--	------------------------------	--



ग्राम विकास अधिकारी
परदेहरा क.प.न. - 1, राजापुर

कार्यालय

ग्राम सभा-बरकछा कला, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

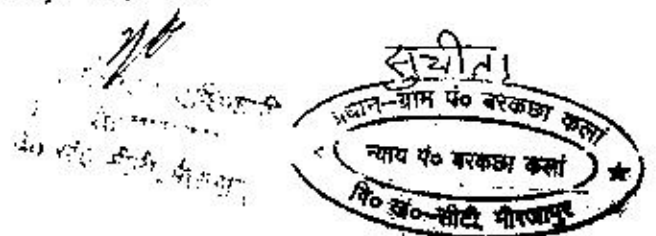
ग्राम बरकछा कला, तप्पा-84, परगना-कंति, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में स्थित वन भूमि की आराजी सं०-1177 व 1178 में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बरकछा कलों की आराजी नं०-1177 में क्षेत्र-0.2627 व आ०नं०-1178 में 0.2202 हे० योग 2 गाटा रकबा 0.4829 हे० आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा बरकछा कलों द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



कार्यवाही रजिस्टर

216

संख्या 8

नियम 36 व 43

क्र.सं.	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचो/सदस्यों का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
1	सुचीता (उधान)		आज दिनांक 22/01/2016 को पूर्व सूचना अनुसार एक भावमयक बैठक पंचायत भवन बजड़ा कला पर समय 11:00 बजे दिन उधान श्री महे सुचीता के अध्यक्षता में किया गया जो ख पूरा हो	सुचीता
2	मिनवा (सदस्य)		पिपली बैठक को पंचक सुनाया गया सर्वसम्मति से पुष्टि की गई	
3	अगवादी ()	1	चर्चा केवल सून की प्रती-उत्तरक	
4	विष्णुशंकर ()	2	श्री गम ददरी खुद तपा-रूप पालना करित तहसील सदर जिला मीजापुर की आरजी नं० 1172 में ख 0-2627	
5	राजेश्वर ()		य आरजी नं० 1178 में 0-2202 है भोग 2000 रुका 0-4829 है वन भूमि को फोर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
6	जीता ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
7	मन्ना ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
8	सुमीर ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
9	दासराव ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
10	पद्मा ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
11	देवचंद ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
12	तार ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
13	महेन्द्रकर ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
14	आनंद ()		काम पररर रारर रुका (रुका आररर) 2000 रु तहत ओपीडर भूमि में ओपीडी अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का कल्याण/रुका देव चरन	
			उपस्थित सदस्यों एवं आमवासियों के समक्ष प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा के दौरान पट्ट निष्कर्ष निकाला गया कि श्री गम बजड़ा कला तपा-रूप पालना करित तहसील सदर जिला मीजापुर की आरजी नं० 1172 में ख 0-2627 एवं आर नं० 1178 में 0-2202 है भोग 2000 रुका 0-4829 है वन भूमि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदिवासी का कोई भी रुका एवं कल्याण नहीं है एवं फोररर रुका फोररर	

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचे/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंचे/सदस्यों का अंगूठा निशान
1	2	3	4	5
			रूडि एक्ट (1980 आर० ए० 2006) के अन्तर्गत वैधानिक एनर्जी प्रोपर्टी का कानून पास करने के निर्माण हेतु अनिवार्य प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसका सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।	
			अध्यक्ष को इसका नहीं लापा गया अतः एव आज भी कार्यवाही समाप्त नहीं जाती है।	
			ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंच वि० ए० सी०, बिरजापुर	

ट :- प्रत्येक कार्यवाही पर प्रधान और सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या 8

नियम 36 व 43

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यों का नाम	प्रस्ताव नं०	की गई कार्यवाही	पंच/सदस्य व केंद्र
1	2	3	4	5
18/1/06	1. श्री रामचंद्र		कार्यवाही नं० 18/1/2006 को पूर्ण हुआ	
	2. श्री रामचंद्र		अनुसार 2 वक आवेदनको लीक	
	3. श्री रामचंद्र		पत्राचार अलग नुस्खा भेजा	
	4. श्री रामचंद्र		समय 11/01/06 को पूर्ण हुआ	
	5. श्री रामचंद्र		मौत प्रमाण पत्र के संबंध में	
	6. श्री रामचंद्र		मे किन जा रही है के संबंध में	
	7. श्री रामचंद्र	1.	पिहरी के कुम्भपुर में यथा	
	8. श्री रामचंद्र		समय मौत के पुराने कब्र	
	9. श्री रामचंद्र	2.	नूतन पत्राचार के अनुसार	
	10. श्री रामचंद्र		को लीक करी ग्राम के पत्राचार	
	11. श्री रामचंद्र		तम्पा - 84 परगना का तत्	
	12. श्री रामचंद्र		तत्सीता सदर जिला मौरजापुर	
	13. श्री रामचंद्र		मे तापेय विस्तृत गोरमोजन	
			के लिए वाटर पाइप लाइन	
			निर्माण के लु ग्राम बरकहा	
			तम्पा - 84 परगना का तत्	
			तत्सीता सदर जिला मौरजापुर	
			को काराजीन नं० 577 का अतिरिक्त	
			वन शुल्क को फारस 2 राइट कर	
			रेंज नं० 10 एंड 11 के तहत	
			आवासीय वन शुल्क में आदिवासी	
			अनुचित जमीन अनुचित	
			जमीन का फलदा/कृषि	
			कार्य हावालीय वैनम अन्य	
			गुमि के लु कलजा के अधिमान	
			का पर विचार	
			उपस्थित सदस्यों के ग्रामवासियों	
			के लिये प्रस्तावित विषय पर	
			निर्णय के लिये नयन	
			निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राम	
			बिरकहाखुद तम्पा - 84 परगना	
			को लीक तत्सीता सदर जिला	
			मौरजापुर को काराजीन नं० 577	

कार्यवाही रजिस्टर

रूप पत्र संख्या ४

नियम 36 व 43

[illegible]

कार्यालय

ग्राम सभा—बरकछा खुर्द, तहसील—सदर, जनपद—मीरजापुर

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

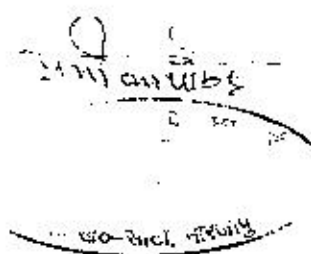
ग्राम बरकछा खुर्द तप्पा—84, परगना—कंति, तहसील—सदर, जिला—मीरजापुर में स्थित वन भूमि की आराजी सं०—577 क्षेत्र—0.0026 हे० में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० द्वारा तापीय विद्युत परियोजना के लिए वाटर पाइप लाइन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु ग्राम बरकछा खुर्द की आराजी नं०—577 में क्षेत्र—0.0026 हे० आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा बरकछा खुर्द द्वारा ग्राम सभा की बैठक में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० द्वारा आवेदित वन भूमि के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी, कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा इससे कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा के सिफारिस पर फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) 2006 के अन्तर्गत वन विभाग की उक्त भूमि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा० लि० को वाटर पाइप लाइन के निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सभा, बरकछा खुर्द, मीरजापुर


सचिव
ग्राम पंच. बरकछा खुर्द
पि० ब० सीटी, मीरजापुर